रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 1984/वैशाख 24, 1906
No. 5] NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 1984/VAISAKHA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1984

फा. सं. 50/35/84-प्रशा. 2/सं. 17/84 :—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बोर्ड (कारबार का संव्यवहार विनियमन) नियम 1964 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे. दत्त, सदस्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, को सदस्य (सीमा शुल्क) के रूप में अपने कार्यों के अलावा अध्यक्ष के 14 मई, 1984 से विदेश में दौरे पर की अवधि के दौरान, अध्यक्ष के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

जी. वी. गुरुहरमण्यम्, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1984

F. No. 50|35|84-Ad. II|No. 17|84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 3 of the Central Board of Excise and Cusotms (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby authorises Shri J. Datta, a Member of the Central Board of Excise and Customs to discharge, in addition to his own duties as Member (Customs), the functions of the Chairman, during the period of absence of the Chairman on foreign tour with effect from 14th May, 1984.

G. V. SUBRAMANYAM, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984